In the

Reserve Bank of India

Foreign Exchange Department

Ahmedabad-380009

भारतीय रिज़र्व बैंक

विदेशी मुद्रा विभाग

अहमदाबाद 380009

में उपस्थित / Present

जयन्त कुमार दाश / Jayant Kumar Dash

क्षेत्रीय निदेशक (गुजरात, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली) /

मुख्य महाप्रबंधक (अहमदाबाद)

Regional Director (Gujarat, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli) /

Chief General Manager (Ahmedabad)

दिनांक: 18 सितम्बर 2018 / September 18, 2018

सेफा.सीओ सं: 10545 / सी.ए.अह: 105 / 2018-19

CEFA.CO.ID.10545 / C.A. No. AHM - 105 / 2018-19

प्रकरण / Matter

सेप एनर्जि प्राइवेट लिमिटेड / SEP Energy Pvt. Ltd.

(CIN: U40100GJ2006PTC047668)

G -409, केप्सस्टोन, चिराग मोटर्स के सामने, शेठ मंगलदास रोड,

एल्लिसब्रिज, अहमदाबाद -380006

G - 409, Capstone, Opp. Chirag Motors, Sheth Mangaldas Road

Ellisbridge, Ahmedabad - 380006

गुजरात / Gujarat

(आवेदक) / (Applicant)

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 की धारा 15(1) तथा इसके अंतर्गत बनाए गये विनियम/नियम/अधिसूचना/आदेश द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं यह आदेश पारित करता हूँ:

In exercise of the powers conferred under Section 15(1) of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Regulations/Rules/Notifications/Orders made there under, I pass the following order:

आदेश / Order

आवेदक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत जारी विनियमों के उल्लंघनों को कंपाउंडिंग करने हेतु दिनांक 16 जून 2018 (भारतीय रिज़र्व बैंक में दिनांक 20 जून 2018 को प्राप्त) को कंपाउंडिंग आवेदन दिया गया था। निम्नलिखित फेमा उल्लंघनों की कंपाउंडिंग की जानी है: (i) इक्विटी में अंशदान के लिए विदेशी मुद्रा आवक राशि की सूचना देने में निर्धारित 30 दिन से अधिक विलंब तथा (ii) भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को शेयर जारी करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक को निर्धारित 30 दिनों से अधिक विलंब से फार्म एफ़सी-जीपीआर प्रस्तुत करना; यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की अनुसूची 1 के क्रमश: पैरा 9(1)(ए) तथा 9(1)(बी) [इसके बाद विनियमावली फेमा 20/2000-आरबी के रूप में संबोधित] के अनुसार।

The applicant has filed compounding application dated June 16, 2018 (received at Reserve Bank of India on June 20, 2018) for compounding of contraventions of the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (the FEMA) and the regulations issued there under. The contraventions sought to be compounded are (i) delay beyond 30 days in reporting receipt of foreign inward remittance towards subscription to equity and (ii) delay beyond 30 days in submission of Form FC-GPR to the Reserve Bank after issue of shares to a person resident outside India; in terms of paragraphs 9(1)(A) and 9(1)(B) respectively, of Schedule 1 to Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India)

Regulations, 2000 notified, vide Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000 and as amended from time to time (hereinafter referred to as Notification No. FEMA 20/2000-RB).

2. मामले के प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

आवेदक कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन दिनांक 6 फ़रवरी 2006 को निगमित हुई (CIN: U40100GJ2006PTC047668)। यह कंपनी अन्य गैर-परंपरागत स्रोतों का उपयोग कर बिजली के उत्पादन में कार्यरत है जिसका एनआईसी कोड 35106 है। आवेदक कंपनी को विदेशी निवेशक सदर्न एनर्जि पार्टनर एलएलसी, यूएसए, श्री गेरी सिगेल, आरयेह एच. ग्लिकमेन आदि से स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत ₹**13,90,60,988/-** की कुल छियालीस आवक राशियां प्राप्त हुई। कंपनी ने **₹29,18,39,630/-** राशि के शेयर जारी किए। इस राशि में **₹15,27,79,060/-** के बाहरी वाणिज्यिक उधार की राशि का इक्विटी शेयरों में रूपांतरण शामिल है जब की शेयर आवेदन के रूप में प्राप्त अतिरिक्त राशि **₹418/-** को नज़रअंदाज़ किया गया।

The relevant facts of the case are as follows:

The applicant company was incorporated on February 6, 2006 under the provisions of the Companies Act, 1956 (CIN: U40100GJ2006PTC047668). The company is engaged in electric power generation using other non-conventional sources having NIC Code: 35106. The applicant company has received total forty six inflows amounting to ₹**13,90,60,988/-** from foreign investor Southern Energy Partners LLC, USA, Mr. Gary Sigel, Aryeh H Glikman etc. under automatic route. Company has issued the shares for amount of **₹29,18,39,630.**
The amount includes External Commercial Borrowings conversion into equity shares / CCPS for **₹15,27,79,060/-** whereas, an excess amount of **₹418/-** was ignored.

3. दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 **-** आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(ए)**:**

Para 9(1) (A) – Schedule 1 of Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000:

(तालिका A) (Table -A)

क्र. सं. Sr. No.	विदेशी आवक विप्रेषण की राशि / Amount of foreign inward remittance (₹)	प्राप्ति की तिथि / Date of receipt	आरबीआई को रिपोर्ट करने की तिथि* / Date of reporting to RBI*	30 दिन से अधिक का विलंब (दिनों में) / Days delay excluding prescribed time of 30 days
1	90,701	28-02-2006	10-03-2006	No delay
2	10,588	08-03-2006	10-03-2006	No delay
3	16,56,948	23-11-2012	18-12-2012	No delay
4	2,75,863	23-11-2012	18-12-2012	No delay
5	15,90,970	07-02-2013	15-02-2013	No delay
6	21,71,457	12-04-2013	10-05-2013	No delay
7	38,73,836	22-05-2013	06-06-2013	No delay
8	55,380	05-06-2013	04-07-2013	No delay
9	1,21,35,290	16-07-2013	12-08-2013	No delay
10	15,38,135	09-10-2013	25-10-2013	No delay
11	30,36,893	11-03-2014	26-03-2014	No delay
12	5,947	04-04-2014	29-04-2014	No delay
13	36,12,477	29-04-2014	07-05-2014	No delay
14	14,66,913	29-05-2014	14-06-2014	No delay
15	59,94,281	16-06-2014	30-06-2014	No delay
16	42,81,866	06-08-2014	13-08-2014	No delay
17	63,23,241	07-01-2015	13-01-2015	No delay
18	46,91,249	10-03-2015	03-04-2015	No delay
19	62,32,252	20-03-2015	27-03-2015	No delay
20	51,03,234	13-05-2015	12-06-2015	No delay
21	6,270	19-05-2015	12-06-2015	No delay
22	25,34,566	20-07-2015	06-08-2015	No delay
23	38,456	22-09-2015	13-10-2015	No delay
24	33,15,837	12-05-2016	18-05-2016	No delay
25	16,71,831	13-06-2016	20-06-2016	No delay
26	13,39,330	16-06-2016	20-06-2016	No delay
27	20,15,328	05-07-2016	19-07-2016	No delay
28	13,30,800	02-08-2016	30-08-2016	No delay
29	39,96,000	06-09-2016	04-10-2016	No delay
30	33,54,195	08-12-2016	23-12-2016	No delay
31	33,78,189	05-01-2017	18-01-2017	No delay
32	45,28,030	04-04-2017	28-04-2017	No delay
33	32,33,224	29-03-2017	13-04-2017	No delay
34	51,99,025	21-03-2017	30-03-2017	No delay
35	23,77,292	03-03-2017	31-03-2017	No delay

36	13,44,072	14-06-2017	22-06-2017	No delay
37	41,46,693	17-05-2017	07-06-2017	No delay
38	16,23,950	15-11-2017	22-11-2017	No delay
39	1,00,34,515	26-07-2017	04-08-2017	No delay
Total A	**11,96,15,124**			
40	46,19,261	31-12-2013	11-02-2014	12 days
41	35,76,485	28-03-2014	29-05-2014	32 days
42	22,29,085	30-08-2017	22-11-2017	54 days
Total B	**1,04,24,831**			

**9(1) (ए) के अंतर्गत विलंब की गणना करते समय एडी बैंक को आवक राशि रिपोर्ट करने की तिथि माना गया।*

* *The date for calculation of delay under 9(1) (A) taken as date of inflow reporting by Company to AD.*

दिनांक 7 नवम्बर 2017 की अधिसूचना संख्या फेमा 20(**R**) /2017 **-** आरबी के विनियमन 13.1(1)**:**

Regulation 13.1(1) of Notification No. FEMA 20(R) /2017-RB dated November 7, 2017:

(तालिका B) (Table -B)

क्र. सं. Sr. No.	**विदेशी आवक विप्रेषण की राशि / Amount of foreign inward remittance (₹)**	**प्राप्ति की तिथि / Date of receipt**	**आरबीआई को रिपोर्ट करने की तिथि* / Date of reporting to RBI***	**30 दिन से अधिक का विलंब (दिनों में) / Days delay excluding prescribed time of 30 days**
43	18,94,736	03-01-2018	08-01-2018	No delay
44	38,16,209	01-02-2018	08-02-2018	No delay
45	6,410	22-02-2018	08-03-2018	No delay
46	33,03,678	30-04-2018	08-05-2018	No delay
Total C	**90,21,033**			
G. Total (A+B+C)	**13,90,60,988**			

**13.1(1) के अंतर्गत विलंब की गणना करते समय एडी बैंक को आवक राशि रिपोर्ट करने की तिथि माना गया।*

* *The date for calculation of delay under 13.1 (1) taken as date of inflow reporting by Company to AD.*

4. उपर्युक्त तालिका A एवं B से स्पष्ट है कि आवेदक ने **₹13,90,60,988/-** की कुल छियालीस आवक विप्रेषण राशि प्राप्ति की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद के क्षेत्रीय कार्यालय को दी। उक्त छियालीस में से **₹1,04,24,831/-** की तीन आवक राशि की सूचना लगभग 12 से 54 दिनों (के निर्धारित अवधि 30 दिन) विलंब से सूचित किया गया। जबकि अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9 (1) (ए) के अनुसार, शेयर जारी करने वाली किसी भारतीय कंपनी को इन विनियमों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को यह सूचना निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार आवक राशि की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर देनी

होती है। इस प्रकार कंपनी ने 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(ए) के अनुसार निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

As indicated in the Table A & B above, the applicant reported the receipt of forty six inward remittances, amounting to **₹13,90,60,988/-** to the Ahmedabad Regional Office of the Reserve Bank of India. Out of forty six inflows, three inflows amounting to **₹1,04,24,831/-** was reported with a delay of approx. 12 to 54 days beyond the prescribed period of 30 days. Whereas, in terms of paragraph 9 (1) (A) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB, an Indian company issuing shares in accordance with these Regulations should report to the Reserve Bank of India, as per the prescribed procedure, not later than 30 days from the date of receipt of the amount of consideration. Thus the company stands to contravene the provisions stipulated in paragraph 9(1) (A) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000**.**

5. आवेदक ने इक्विटी शेयर आवंटित किए तथा निम्नानुसार एफ़सीजीपीआर फ़ाइल की:
The applicant allotted equity shares and filed FC-GPRs as stated below:

दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी)**:**
Para 9(1) (B) – Schedule 1 of Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000:

(तालिका C) (Table -C)

क्र. सं. Sr. No.	**जारी किए शेयर की संख्या No of shares issued**	**शेयर की राशि Amount of shares (₹)**	**शेयर जारी करने की तिथि Date of issue of shares**	**आरबीआई को एफ़सीजीपीआर प्रस्तुत करने की तिथि * Date of submission of FC-GPR to RBI ***	**30 दिन से अधिक का विलंब (दिनों में) Days delay excluding prescribed time of 30 days**
1	9,000	90,000	14-07-2006	16-07-2006	No delay
	1,000	10,000	14-07-2006	16-07-2006	
2	1,01,25,656	10,12,56,560	31-03-2010	23-04-2010	No delay
3	51,52,250	5,15,22,500	18-12-2012	16-01-2013	No delay
4	1,93,375	19,33,750	18-12-2012	16-01-2013	No delay

5	1,59,097	15,90,970	18-03-2013	03-04-2013	No delay
6	2,17,145	21,71,450	22-04-2013	22-05-2013	No delay
7	17,60,264	1,76,02,640	10-10-2013	01-11-2013	No delay
8	5,10,950	51,09,500	01-07-2015	31-07-2015	No delay
9	2,53,456	25,34,560	08-09-2015	08-10-2015	No delay
10	3,845	38,450	29-10-2015	27-11-2015	No delay
11	5,02,648	50,26,480	18-07-2016	26-07-2016	No delay
12	1,34,407	13,44,070	14-06-2017	11-07-2017	No delay
13	1,62,395	16,23,950	28-11-2017	26-12-2017	No delay
14	10,03,451	1,00,34,510	26-07-2017	19-08-2017	No delay
Total A	**2,01,88,939**	**20,18,89,390**			
15	22,31,225	2,23,12,250	23-06-2014	05-08-2014	13 days
16	4,28,187	42,81,870	10-11-2014	18-12-2014	8 days
17	17,24,675	1,72,46,750	04-05-2015	26-06-2015	23 days
18	3,31,583	33,15,830	31-05-2016	04-07-2016	4 days
19	1,33,080	13,30,800	11-08-2016	20-10-2016	40 days
20	3,99,600	39,96,000	27-09-2016	22-12-2016	56 days
21	6,73,238	67,32,380	17-01-2017	09-06-2017	113 days
22	15,33,757	1,53,37,570	28-04-2017	20-07-2017	53 days
23	4,14,669	41,46,690	06-06-2017	11-07-2017	5 days
24	2,22,908	22,29,080	14-09-2017	22-11-2017	39 days
Total B	**80,92,922**	**8,09,29,220**			

** 9(1) (बी) के अंतर्गत विलंब की गणना करते समय एडी बैंक को रिपोर्ट करने की तिथि माना गया।*

** For calculation of days of delay under 9(1) (B) date of reporting to AD bank is taken as reporting to RBI.*

दिनांक 7 नवम्बर 2017 की अधिसूचना संख्या फेमा 20(R**)** /2017**-**आरबी के विनियमन 13.1**(**2**)**:

Regulation 13.1(2) of Notification No. FEMA 20(R) /2017-RB dated November 7, 2017:

(तालिका D) (Table -D)

क्र. सं. Sr. No.	जारी किए शेयर की संख्या No of shares issued	शेयर की राशि Amount of shares (₹)	शेयर जारी करने की तिथि Date of issue of shares	आरबीआई को एफ़सीजीपीआर प्रस्तुत करने की तिथि Date of submission of FC-GPR to RBI *	30 दिन से अधिक का विलंब (दिनों में) Days delay excluding prescribed time of 30 days
25	1,89,473	18,94,730	16-01-2018	15-02-2018	No delay
26	641	6,410	08-03-2018	17-03-2018	No delay
27	3,30,367	33,03,670	30-05-2018	13-06-2018	No delay

28	3,81,621	38,16,210	14-02-2018	17-03-2018	LSF Paid
Total - C	**9,02,102**	**90,21,020**			
G.Total (A+B+C)	**2,91,83,963**	**29,18,39,630**			

******13.1(2) के अंतर्गत विलंब की गणना करते समय एडी बैंक को आवक राशि रिपोर्ट करने की तिथि माना गया।*

* *The date for calculation of delay under 13.1 (2) taken as date of inflow reporting by Company to AD.*

6. उपर्युक्त तालिका C एवं D से स्पष्ट है कि आवेदक ने **₹29,18,39,630/-** की राशि के अट्ठाईस फार्म एफ़सी-जीपीआर फ़ाइल किये है। उक्त अट्ठाईस फार्म एफ़सी-जीपीआर में से **₹8,09,29,220/-** की राशि के दस फार्म एफ़सी-जीपीआर लगभग 4 से 113 दिनों के (निर्धारित अवधि 30 दिन) विलंब से फ़ाइल किए गए। जबकि 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा/ 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी) के अनुसार शेयर जारी करने वाली किसी भारतीय कंपनी को इन विनियमों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को एफ़सीजीपीआर प्रारूप में उसमें निर्धारित दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट विदेशी निवेशक को शेयर आवंटन करने के 30 दिनों के अंदर किया जाना होता है। इस प्रकार कंपनी ने 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी) के अनुसार निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

As indicated in the Table C & D above, the applicant has filed twenty eight form FC-GPRs amounting to **₹29,18,39,630/-**. Out of twenty eight FC-GPRs forms, ten form FC-GPRs amounting to **₹8,09,29,220/-** were filed with a delay ranging from 4 to 113 days approx. beyond the prescribed period of 30 days. Whereas, in terms of paragraph 9(1) (B) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB, an Indian company issuing shares in accordance with these Regulations has to submit to the Reserve Bank of India, a report in form FC-GPR, along with documents prescribed therein, within 30 days from the date of issue of shares to the overseas investor. Thus the company stands to contravene the provisions stipulated in Paragraph 9 (1) (B) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000- RB dated May 3, 2000.

7. आवेदक को दिनांक 10 सितम्बर 2018 के हमारे पत्र संख्या एफ़ई.अह. 358/06.04.15 (A) CEFA 2018-19 द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में स्वयं उपस्थित होकर तथा / अथवा दस्तावेज यदि कोई हो, प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए एक अवसर दिया गया। व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 18 सितम्बर 2018 को आवेदक के प्रतिनिधि श्री वी. धत्तचिनामूर्ति, निदेशक, श्री दर्शित नायक एवं सुश्री विधि शाह, कंपनी के कर्मचारी उपस्थित

रहे। आवेदक के प्रतिनिधि ने माना कि उनसे उपर्युक्त स्पष्ट किए गए उल्लंघन हुए हैं जिनके लिए माफी मांगी गई और कहा कि अननुपालन जानबूझकर नहीं किया गया है और कंपनी की ओर से अनजाने में त्रुटि हुई थी और कंपनी उसके लिए खेद प्रदर्शित करती है तथा उदार दृष्टिकोण रखने के लिया प्रार्थना करती है। वे अपने आवेदन के संबंध में कंपाउंडिंग प्राधिकारी के किसी भी निर्देश/ आदेश को स्वीकार करने को तैयार हैं।

The applicant was given an opportunity for personal hearing vide our letter FE.AH.No.358/06.04.15 (A) CEFA /2018-19 dated September 10, 2018 for further submission in person and / or producing documents, if any, in support of the application. Shri V. Dhatchinamoorthy, Director, Shri Darshit Nayak and Smt Vidhi Shah, employees of the Company represented the applicant for the personal hearing on September 18, 2018. They admitted to the contraventions for which compounding has been sought and stated that the non-compliance was not intentional and was an inadvertent error on the part of the Company and they deeply regret the delay caused and requested to take lenient view. They also stated that they are willing to accept any direction/ order of the Compounding authority in connection with their compounding application.

8. आवेदक के प्रतिनिधि ने प्रार्थना की कि उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए आवेदन के निपटान में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए। अतः कंपाउंडिंग के लिए किए गए आवेदन पर आवेदक द्वारा किए गए प्राक्कथनों तथा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा इस संबंध में किए गए प्रस्तुतिकरणों के आधार पर विचार किया गया है।

The representative of the applicant requested that in view of the foregoing, a lenient view may be taken in disposal of the application. The application for compounding is, therefore, being considered on the basis of the averments made in the application as well as other documents and submissions made in this context by the applicant during personal hearing and thereafter.

9. दिनांक 16 जून 2018 के कंपाउंडिंग आवेदन में आवेदक द्वारा यह घोषित किया गया है कि आवेदन में दिया गया विवरण उनकी श्रेष्ठ समझ एवं मान्यता के अनुसार सत्य एवं सही

है। कंपाउंडिंग आवेदन के साथ दी गई अंडरटेकिंग में आवेदक ने यह घोषित किया है कि आवेदन की तिथि को किसी भी एजेंसी द्वारा उनके विरुद्ध कोई भी जांच/जांच-पड़ताल/अधिनिर्णयन नहीं किया जा रहा था तथा इस संबंध में आवेदक ने तत्पश्चात किसी भी एजेंसी द्वारा उनके विरुद्ध कोई भी जांच/जांच-पड़ताल/अधिनिर्णयन प्रारम्भ होने की सूचना नहीं दी है। आगे यह भी घोषित किया गया है कि आवेदक ने फेमा, 1999 की धारा 17 अथवा 19 के तहत कोई भी अपील नहीं की है। तदनुसार, उक्त उल्लंघन जो कि इस आदेश में कम्पाउण्ड किए जा रहें हैं वे आवेदक द्वारा दी गई उक्त घोषणा की सच्चाई के अधीन है तथा यह आदेश वर्तमान क़ानूनों के तहत किसी भी प्राधिकरण द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है और अगर तत्पश्चात उक्त घोषणा झूठी एवं गलत होने का पता चलता है तो प्राधिकरण द्वारा वर्तमान कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

It has been declared in the compounding application dated June 16, 2018 that the particulars given by the applicant in the application are true and correct to the best of their knowledge and belief. It has been declared in the undertaking furnished with the compounding application that the applicant was not under any enquiry / investigation / adjudication by any agency as on the date of the application and has, in this regard, not informed of initiation of any such enquiry /investigation / adjudication proceedings against it/him/her thereafter. It has further been declared that the applicant has not filed any appeal under section 17 or section 19 of FEMA, 1999. Accordingly, the above contraventions which are being compounded in this Order are subject to the veracity of the above declarations made by the applicant and this order is without prejudice to any other action which may be taken by any authority under the extant laws if the said declarations are subsequently discovered to be false and/or incorrect.

10. मैंने रेकॉर्ड में उपलब्ध दस्तावेजों आवेदक द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। मेरे अनुसार आवेदक ने निम्नलिखित फेमा प्रावधानों का निम्नानुसार उल्लंघन किया है:

I have given my careful consideration to the documents on record and submission made by the applicant. Accordingly, I hold that the applicant has contravened the following FEMA provisions issued in terms of:

ए) विनियमावली 20/2000 -आरबी दिनांक 3 मई 2000 की अनुसूची 1 के पैरा 9 (1) (ए) का उल्लंघन : इस आदेश के पैरा 4 में उल्लिखितानुसार शेयर जारी करने हेतु विदेशी आवक विप्रेषण प्राप्ति की रिपोर्टिंग में विलंब। इस संबंध में उल्लंघन राशि ₹1,04,24,831/- है तथा विलंब की अवधि लगभग 12 से 54 दिनों की है।

Paragraph 9 (1) (A) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000- RB dated May 3, 2000: Due to delay in reporting of receipt of foreign inward remittances towards subscription of shares as detailed in paragraph 4 above. The amount of contravention involved is ₹1,04,24,831/- and the delay is for approximately 12 to 54 days.

बी) 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - **आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9 (1) (बी) का उल्लंघन** : उक्त के पैरा 6 में दिये विस्तृत ब्योरे के अनुसार भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों को शेयर जारी करने के बाद फार्म एफ़सी-जीपीआर प्रस्तुत करने में विलंब। इस उल्लंघन के लिए उल्लंघन राशि ₹8,09,29,220/- है तथा विलंब की अवधि लगभग 4 से 113 दिनों की है ।

Paragraph 9 (1) (B) of Schedule 1 of FEMA Notification FEMA 20/2000 – RB dated May 3, 2000: Due to delay in submission of form FC-GPR, after issue of shares to persons resident outside India as detailed in paragraph 6 above. The amount of contravention involved is ₹8,09,29,220/- and the delay is for approximately 4 to 113 days.

11. फेमा की धारा 13 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति फेमा प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो न्यायिक प्रक्रिया के बाद वह उल्लंघन राशि के तीन गुना तक के दंड के लिए उत्तरदायी होगा। परंतु ऊपर के पैरा में उल्लिखित मामले की परिस्थितियों तथा संबंधित साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उनके आधार पर मैं उल्लंघनों को कम्पाउंड करने की राशि के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य हूँ तथा मानता हूँ कि दंड की राशि ₹72,815/- (बहत्तर हज़ार आठ सौ पंद्रह रुपए मात्र) न्याय की अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

In terms of Section 13 of the FEMA, any person contravening any provision of the Act shall be liable to a penalty up to thrice the sum involved in such contravention upon adjudication. However, taking into account the relevant facts and circumstances of the case as stated in the foregoing paragraphs, I am persuaded to take a lenient view on the amount for which the contraventions are to be compounded and therefore, I consider that amount of penalty of ₹72,815/- (Rupees Seventy two thousand eight hundred fifteen only) will meet the ends of justice.

12. तदनुसार, फेमा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम 2000 के अंतर्गत ₹72,815/- (बहत्तर हज़ार आठ सौ पंद्रह रुपए मात्र) की राशि के भुगतान पर मैं उपर्युक्त चर्चित तथ्यों पर आवेदक द्वारा माने गए उल्लंघनों, यथा 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(ए) तथा 9(1)(बी) के उल्लंघन, को कम्पाउण्ड करता हूँ । इस आदेश के 15 दिन के भीतर आवेदक को “भारतीय रिज़र्व बैंक” के पक्ष में दंडात्मक राशि ₹72,815/- (बहत्तर हज़ार आठ सौ पंद्रह रुपए मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, ला गज्जर चेंबर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद 380009 के पास जमा करना होगा। निर्धारित अवधि के भीतर दंडात्मक राशि को जमा नहीं करने पर विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) दिनांक 3 मई 2000 के नियम 10 लागू होंगे।

Accordingly, I compound the admitted contraventions, namely contravention of paragraph 9(1) (A) and 9(1) (B) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 03, 2000, by the applicant, on the facts discussed above in terms of the Foreign Exchange (Compounding Proceedings) Rules, 2000 on payment of an amount of ₹72,815/- (Rupees Seventy two thousand eight hundred fifteen only) which shall be deposited by the applicant with the Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department, La-Gajjar Chambers, Ashram Road, Ahmedabad –380 009 by a demand draft drawn in favour of the “Reserve Bank of India” and payable at Ahmedabad within a period of 15 days from the date of this order. In case of failure to deposit the compounded amount within the above mentioned period, Rule 10 of the Foreign Exchange (Compounding Proceedings) Rules, 2000 dated May 3, 2000 shall apply.

आवेदन तदनुसार निपटाया गया।
The application is disposed of accordingly.

दिनांक: 18 सितम्बर 2018 को जारी
Dated the 18th day of September, 2018.

Sd/-

(जयन्त कुमार दाश / Jayant Kumar Dash)
क्षेत्रीय निदेशक (गुजरात, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली) /
मुख्य महाप्रबंधक (अहमदाबाद)
Regional Director (Gujarat, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli) /
Chief General Manager (Ahmedabad)